

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 03/प्रो-5-5/12

राँची, दिनांक :-

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 19.08.2013 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ PB-III, ग्रेड पे 7600/- स्वीकृत किया जाता है -

क्र० सं०	कनीय अभियंता का नाम/ पदस्थापन स्थान/गृह जिला/ आई० डी कोड/जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण PB-III वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 7600/= देय तिथि
1	2	3	4
1.	श्री बालेश्वर प्रसाद यादव/सेवानिवृत्त लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका/ लखीसराय/जे०-6008/05.08.51	07.02.79	III 07.02.09
2.	स्व० कामेश्वर प्रसाद सिंह बराज प्र० गालूडीह/पटना/ जे०-5201/02.01.55	02.02.79	III 02.02.09
3.	श्री रवीन्द्र मिश्र/ सेवानिवृत्त/खगड़िया/ 01.07.1951/सिंचाई प्रमण्डल दुमका/ 320 M (वरीयता)	01.01.73	III 01.09.08
4.	श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा/ सेवानिवृत्त/नालन्दा/ 01.06.51/501 M (वरीयता)/ सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची	07.02.79	III 07.02.09
5.	श्री जय गोविन्द यादव/ सेवानिवृत्त/जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग/ वैशाली/03.01.1951/जे०-4923	03.02.79	III 03.02.09
6.	श्री जवाहर लाल सिंह/सेवानिवृत्त/ लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-7 गालूडीह, पूर्वी सिंहभूम/सिवान/ 11.06.50/जे०-4022	21.12.74	III 01.09.08
7.	श्री बबन सिंह/सेवानिवृत्त/ सु० नहर प्र० गालूडीह, मुख्यालय जमशेदपुर/रोहतास/ 12.07.49/जे०-3630	13.11.73	III 01.09.08
8.	श्री कमलेश्वरी प्रसाद सिंह/सेवानिवृत्त/ सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा/मुंगेर/ 07.03.49/जे०-3953	31.03.72	III 01.09.08

31/11/13

9.	श्री शशि शेखर पाण्डेय/सेवानिवृत्त/ सुवर्णरेखा बाँध अंचल, चाण्डिल/सारण 15.01.51/332-M (वरीयता)	18.01.73	III 01.09.08
----	---	----------	-----------------

(ख) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुस्त वसूली कर ली जाएगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

(ग) स्वीकृति आदेश पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड, राँची/प्रशासक सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर/राज्य के सभी उपायुक्त/माननीया मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/संबंधित सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/मत्स्य विभाग/निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/प्रबंधक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/विभागान्तर्गत सभी संयुक्त सचिव/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी अभियंता/बायोडाटा कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

7923

राँची, दिनांक :-

31.12.13

प्रतिलिपि :- वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

28/12/13